58

विलोपित

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–छतरपुर

निगरानी 736-I-15

हरीप्रसाद पुत्र स्वामीदीन कुर्मी निवासी–पटली, तहसील चन्दला जिला – छतरपुर (म.प्र.)

––आवेदक

विरूद्ध

1– मध्य प्रदेश शासन द्वारा – कलेक्टर जिला–छतरपुर (म.प्र.)

2– बुआ पुत्र छत्ता चमार

3– शिवप्रसाद पुत्र बुआ चमार निवासी ग्राम–छतपुरा तहसील चन्दला जिला–छतरपुर (म.प्र.)

–– अनावेदकगण

श्री ... चतुर्वेदी अधि. द्वारा आज दि. 7.4.15 को प्रस्तुत
for क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 7.4.15

<u>न्यायालय अपर कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 33/अ–21 /2013–14 में पारित आदेश दिनांक 04.02.2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।</u>

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

<u>मामले के संक्षिप्त तथ्य :</u>

1. यहकि, ग्राम छतपुरा में स्थित भूमि सर्वे नं. 904 रकवा 1.214 है0, के भूमि स्वामी एवं अधिपत्यधारी अनावेदक क्रमांक 2 था। ओर उसे उक्त भूमि मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 17.11.1970 को बंटन में प्राप्त हुयी थीं। तब से उपरोक्त भूमि शासकीय पट्टेदार के रूप में अनावेदक क्रमांक 2 के नाम पर भूमि स्वामी स्वत्व एवं अधिपत्य में चली आ रही थी। तथा उसको विधि के प्रभाव से भूमि स्वामी स्वत्व एवं अधिकार प्राप्त हो गये थे।
2. यहकि, अनावेदक क्रमांक 2 को स्वत्व एवं भूमि अधिकार प्राप्त हो जाने के पश्चात् उसके द्वारा उपरोक्त भूमि का उसके द्वारा एक पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 04.04.1970 को आवेदक के हित में विधि रूप से सम्पादित कर दिया था एवं कब्जा दिया गया था, तब से आवेदक का उपरोक्त भूमि पर निरन्तर कब्जा कास्त करके चला आ रहा है एवं वर्तमान समय में है। (विक्रय पत्र की फोटो प्रति संलग्न है) ।
3. यहकि, अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा किये गये विक्रय पत्र के आधार पर आवेदक द्वारा तहसीलदार चन्दला के समक्ष नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रकरण क्रमांक 66/अ–6/2012–13 प्रस्तुत किया गया था। जिसमें विधिवत् कार्यवाही सम्पादित

... चतुर्वेदी 07/4/15

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-736-एक/2015 जिला छतरपुर हरीप्रसाद विरूद्ध शासन व बुआ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 33/अ-21/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 04-02-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 02-05-2019 को आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जिन) सदस्य 01.3.19	